वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 184/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-24.05.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 24.05.2025 को ***आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-***

01.थाना रानी की सराय: छेड़खानी के अभियोग में एक अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 23.05.2025 को वादिनी थाना रानी की सराय आजमगढ़ द्वारा प्रार्थनापत्र दिया कि विपक्षी रोहन मौर्या जो ग्राम सहिगढ़ा थाना रानी की सराय आजमगढ़ द्वारा वादिनी को आये दिन रास्ते चलते अश्लील भाषा बोलकर डुपट्टा खीचता है मना करने पर धमकी देता है कि किसी से बताओगी तो तुम्हे व तुम्हारी माँ को जान से मार दूगां जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 143/25 धारा 76, 351(3) बीएनएस बनाम रोहन मौर्या पंजीकृत होकर विवेचना उ.नि. सूरज तिवारी द्वारा सम्पादित की जा रही है। दौरान विवेचना बयान वादिनी, एवं अन्य संकलित साक्ष्यो से मुकदमा उपरोक्त मे धारा 64 बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 24.05.2025 को उ0नि0 सूरज तिवारी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बंधित **अभियुक्त रोहन मौर्या पुत्र स्व0 केशव मौर्या थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़** को अभियुक्त के घर से समय करीब 10.35 बजे पकड़ लिया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त को मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1-रोहन मौर्या पुत्र स्व0 केशव मौर्या थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग:-

मु.अ.स. 143/25 धारा 76,351(3),64 बीएनएस थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

02.थाना अतरौलिया: 02 तमंचा, 06 जिन्दा कारतूस, के साथ 06 अभियुक्त गिरफ्तार; 02 मोटरसाइकिल सीज।

01-

अवगत कराना है कि आज दिनांक 24.05.25 को उ0नि0 मो0 शाहिद खान मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान महरूपुर अण्डरपास के पास से मोटरसाइकिल सवाह 03 व्यक्ति **1. हिमांशु मौर्य पुत्र संतोष कुमार मौर्य निवासी ग्राम सेखौना थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष 2. शुभम यादव पुत्र नागेन्द्र यादव निवासी ग्राम सेखौना थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष 3. मिथलेश राजभर पुत्र आशेराम राजभर निवासी ग्राम खीरीडीहा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़** उम्र 23 वर्ष के कब्जे से **एक अदद देशी तमंचा .315 बोर व 03 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ समय 02.15 बजे** पुलिस हिरासत में लिया गया तथा बरामद बाइक को धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0 171/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट** बनाम अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

02-

अवगत कराना है कि आज दिनांक 24.05.25 को उ0नि0 उमेश चन्द व उ0नि0 संतोष कुमार मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान छितौनी अण्डरपास के पास से एक मोटरसाईकिल पर सवार 03 व्यक्ति 1. शिवम यादव पुत्र सुर्यनाथ यादव निवासी ग्राम ध्यानीपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 25 वर्ष, 2. अंकित यादव पुत्र नन्हे यादव निवासी ग्राम ध्यानीपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष, 3. विपिन यादव पुत्र वृजराज यादव निवासी ग्राम ध्यानीपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 23 वर्ष को एक अदद देशी तमंचा .315 बोर व 03 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर को समय 04.10 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। बरामद मोटर साईकिल काले रंग की SPLENDOR PLUS का कोई भी कागजात व ड्राइविंग लाइसेंस न होने के कारण उक्त मोटरसाईकिल को अन्तर्गत धारा -207 MV Act में मोबाईल से सीज किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 172/25 धारा 3/25 आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 171/25 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

2-मु0अ0सं0 172/25 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. हिमांशु मौर्य पुत्र संतोष कुमार मौर्य निवासी ग्राम सेखौना थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष
2. शुभम यादव पुत्र नागेन्द्र यादव निवासी ग्राम सेखौना थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष
3. मिथलेश राजभर पुत्र आशेराम राजभर निवासी ग्राम खीरीडीहा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 23 वर्ष
4. . शिवम यादव पुत्र सुर्यनाथ यादव निवासी ग्राम ध्यानीपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 25 वर्ष
5. अंकित यादव पुत्र नन्हे यादव निवासी ग्राम ध्यानीपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष
6. विपिन यादव पुत्र वृजराज यादव निवासी ग्राम ध्यानीपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 23 वर्ष

बरामदगी –

1- 02 अदद देशी तमंचा .315 बोर व 06 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

2- 02 सीजशुदा मोटर साईकिल (स्पेलेन्डर प्लस व अपाची) अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट

03. थाना- कोतवाली: किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास –

अवगत कराना है कि वादिनी मुकदमा थाना सिधारी जिला आजमगढ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र कि वादिनी की पुत्री को विपक्षी कुलदीप पुत्र कन्ता ग्रा0 भैरोपुर दरगाह थाना अतरौलिया जिला आजमगढ ने स्कूल के समय बहला फुसलाकर अपने झांसे मे लेकर दिनांक 19.05.2025 को चार पहिया गाड़ी से जिसके चालक का नाम पता अज्ञात गाड़ी मे बैठाकर समय करीब 9 बजे शहर के होटल में ले गया और वहां पर होटल में ही वादिनी की पुत्री के साथ यौन सम्बन्ध बनाकर अश्लील फोटो व वीडियो भी बनाया फिर लाकर स्कूल के पास छोड़ कर चला गया विपक्षी ने कहा कि जब भी मै बुलाउंगा तब तुम आओगी नही तो मै वीडियो वायरल कर दूंगा। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर **मु0अ0सं0 238/25 धारा 65(1),351(2), 137(2) बीएनएस** दिनांक- 22.5.25 को थाना कोतवाली पर पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 24.5.25 को **प्र0नि0 शशि मौलि पाण्डेय, मय हमराह** द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित **अभियुक्त कुलदीप पुत्र कन्ता निवासी ग्राम भैरोपुर दरगाह थाना अतरौलिया आजममगढ़ उम्र 29 वर्ष** को समय 08.50 बजे करतालपुर तिराहे से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1-कुलदीप पुत्र कन्ता निवासी ग्राम भैरोपुर दरगाह थाना अतरौलिया आजममगढ़ उम्र 29 वर्ष

पंजीकृत अभियोग –

1-मु0अ0सं0 238/25 धारा 65(1),351(2), 137(2) बीएनएस थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट

एसपी ट्रैफिक ने 15 दिवसीय अभियान (निजी वाहनोंको व्यवसायिक वाहन के रूप में प्रयोग करने वाले के विरूद्ध कार्यवाही) के सम्बन्ध में की गोष्ठी।

आज दिनांक 24.05.2025 को हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में विवेक त्रिपाठी, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा यातायात पुलिस में नियुक्त उ0नि0 यातायात व मु0आ0 यातायात की पुलिस लाइन सभागार में गोष्ठी की गयी।

अपर पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा शासन के निर्देश के अनुसार जनपद में घटित सड़क दुर्घटना में 50 प्रतिशत की कमी लाये जाने हेतु प्रवर्तन , यातायात जागरूकता व अन्य आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद में बिना परमिट व किसी प्रकार डग्गामार वाहन संचालित न हो पाये। एसे वाहनों के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक वैद्यानिक कार्यवाही अमल में लायी जाये। मुख्यालय के निर्देश में दिनांक 01.06.2025 से 15.06.2025 तक निजी वाहनों को व्यासायिक वाहन के रूप प्रयोग करने वाले के विरूद्ध चलने वाले 15 दिवस अभियान के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि जनपद में अभियान के दौरान विशेष रूचि लेकर चेकिंग अभियान चलाया जाये। चेकिंग में निजी वाहनों को व्यासायिक वाहन के रूप प्रयोग करने वाले के विरूद्ध प्रवर्तन तथा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाये। गोष्ठी में धनंजय शर्मा उ0नि0 यातायात व अन्य उ0नि0 / मु0आ0 यातायात मौजूद रहें।

प्रेस-विज्ञप्ति

एसपी ट्रैफिक ने साइबर में लम्बित विवेचनाओं व शिकायतों के निस्तारण के सम्बन्ध में की गोष्ठी

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना के निर्देशन में आज दिनांक- 24.05.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक यातायात/नोडल अधिकारी साइबर क्राइम विवेक त्रिपाठी द्वारा जनपद में लम्बित साइबर क्राइम/आईटीएक्ट से सम्बन्धित विवेचना की समिक्षा बैठक किया गया जिसमें सभी विवेचको को विवेचना निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किया गया। साथ—साथ एनसीआरपी पोर्टल पर लम्बित शिकायतों के निस्तारण हेतु भी थानों के कम्प्यूटर आपरेटर को दिशा-निर्देश प्रदान किया गया।

उक्त बैठक पुलिस लाइन स्थित सभागार मे सम्पन्न हुआ जिसमें प्रभारी निरीक्षक साइबर थाना आजमगढ़, एवं साइबर थानें की टीम , सर्किल निरीक्षक बूढनपुर, सदर, क्राइम ब्रान्च प्रभारी निरीक्षक मौके पर मौजूद रहे एवं साइबर क्राइम की विवेचना करनें वाले अन्य निरीक्षक एवं सहायक गुगलमीट के माध्यम से भी दिशा-निर्देश दिये गयें।